अंक ५२

नई दिल्ली, जून २०१४

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिस प्रमुखों को परिचालन संबंधी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए'

श्री जूलियो फ्रांसिस रोबेरो

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर (१९८२-१९८५) और पुलिस सुधार के एक प्रमुख सूत्रधार तथा पदम भूषण पदक से सम्मानित श्री जूलियो फ्रांसिस रोबेरो से पुलिसिंग की बदलती चुनौतियों से संबंधित उनके विचारों को जानने के लिए ई-मेल द्वारा लिये गये साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

आप पुलिस के साथ अपने संबंधों से बहुत गौरान्वित हैं। आप पुलिस में अपने इस सफर को कैसे बयान करेंगे? क्या यह आसान था?

१९५३-१९८९ के मध्य पुलिस सेवा में मेरी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। मेरे हिस्से में भी ईर्ष्यालू सहकर्मियों या कुछ ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जो ईमानदार नहीं थे और मुझ से सावधान रहना चाहते थे, उनके द्वारा पैदा की गई व्यक्तिगत कठिनाईयाँ थीं। लेकिन कुल मिलाकर मेरी यात्रा संतोषजनक थी क्योंकि यह मेरे मिजाज़ के अनुकूल था जो जनता की सेवा करने और न्याय प्रदान करने के लिए सक्रिय था।

इसके बारे में आपको सबसे प्रिय क्या है?

पुलिस सेवा इंसानों के कष्ट और अन्याय को दूर करने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करता है। अगर आप इन मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो आपको जनता की सेवा करने में आनंद आएगा।

और आपको सबसे अधिक घृणा किस पहलू से होती थी?

जिससे मुझे सबसे अधिक घृणा थी, वह थी किसी भी प्रकार का अन्याय। मेरे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अन्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि उनकी अन्तरात्मा नहीं थी, वे जिस तरह लोगों से व्यवहार करते थे और काम करते थे, मुझे पसंद नहीं था।

ज़्यादातर, जब लोग अच्छे और ईमानदार पुलिस के बारे में सोचते हैं आपका नाम ज़हन में आता है। आपने क्या सही किया है और ऐसा कैसे किया?

इस सवाल का जवाब मैंने अपने पहले सवाल के जवाब में दे दिया है। अगर आप एक साफ़ और निष्पक्ष दिमाग के व्यक्ति हैं, आपको अच्छा नाम कमाने में कोई कठिनाई होनी चाहिए। आपने जो ठीक किया है, लोग आपको उसके लिए धन्यवाद करने के लिए वापस नहीं आएंगे लेकिन वे इसके बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बताएंगे और आप केवल उस व्यक्ति द्वारा ही नहीं जानें जाएंगे जिससे आपने बातचीत की थी बल्कि अधिक बड़े समूहों में भी जाने जाएंगे।

अच्छे और ईमानदार पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत उतार-चढ़ाव हैं। नये भर्ती पुलिसकर्मी को आप क्या सलाह देंगे जिससे कि इस व्यवस्था में रहने के लिए उन्हें अपनी मान्यताओं से समझौता न करना पड़े?

हमेशा जो सही है वही करें। यदि सीधी राह से हटने के लिए दबाव और खिंचाव हो तब भी सिर न झुकाएं और आप ग़लत न करें। कई बार यह कठिन हो सकता है लेकिन एक मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में यह बेहद महत्वपूर्ण है।

सर आप पुलिसिंग में राजनैतिक हस्तक्षेप के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। समय के साथ यह हस्तक्षेप किस प्रकार बढ़ा है और पुलिस के काम को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है?

जब मैं नौकरी में शामिल हुआ तब पुलिस प्रशासन में शायद ही कोई राजनैतिक हस्तक्षेप हुआ करता था। वह महिल और पुरूष वही लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और कठिन रास्तों पर चलकर अपना सबक़ सीखा था। उनकी तारीफ़ और इज्ज़त की जाती थी। पिछले ६० वर्षों में चीज़ें बदल गई हैं। मेरी सेवा की समाप्ति के आस-पास, निचले स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर में हस्तक्षेप की कोशिशें तेज़ी से शुरू हो गई थीं। लेकिन हम इन दबावों से इसलिए बच सके क्योंकि हमने स्वंय किसी राजनेता से उपकार नहीं मांगते थे। लेकिन, आज कई वरिष्ठ अधिकारी इन मान्यताओं पर समझौता कर चुके हैं और क्योंकि वे खुद कृपादृष्टि चाहते हैं इसलिए बदले में उन्हें भी ऐसा करना होता है और शिथिलता का माहौल बन जाता है जो जन कल्याण को प्रभावित करता है।

१९७९ से पुलिस सुधार पर गठित समितियों और आयोगों की सिफ़ारिशों को देखते हुए जोकि अब तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं और जिनमें से एक समिति की अध्यक्षता स्वंय आपने की थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनैतिक कार्यकारिणी, अधिकारी तन्त्र और पुलिस नेतृत्व में पुलिस सुधार के लिए सामान्य प्रतिबद्धता और सहमति नहीं है?

जैसा कि मैंने कहा है कई आई.पी.एस. अधिकारी आज व्यक्तिगत उपकार चाहते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यह अधिकारी राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा सुझाये गये सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन नहीं चाहेंगे क्योंकि तब वे, वह सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो वह करना चाहते हैं। बेशक, राजनेता कोई सुधार नहीं चाहते हैं क्योंकि वे उसे अपने लाभ के लिए हाथ में रखना चाहते हैं। कई आई.ए.एस. अधिकारी भी स्वंय को अहम महसूस कराने के लिए उनके साथ हो जाते हैं।

आप जनता में पुलिस की छवि से खुश नहीं होंगे। पुलिस अधिकारी अपनी कमियों को उचित बतलाते हैं लेकिन सभी कठिनाईयों को देखते हुए, आपके विचार में पुलिस में कुछ सुधार करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, ताकि पुलिस एक ऐसा मज़बूत अपराध नाशक दस्ता बना सके जिस पर जनता का पूरा विश्वास हो?

जनता को पुलिस में पूरा विश्वास होगा यदि वह वैसे न्याय दिलवायें जैसी उससे अपेक्षा की जाती है। केवल एक मज़बूत, ईमानदार एंव सक्षम नेतृत्व ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके लोग कानून के अनुसार और अच्छी नीयत से काम करें।

क्या वर्तमान पुलिस संरचना ऐसा करने में समर्थ है?

वर्तमान पुलिसिंग संरचना का पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है। प्रत्येक पुलिसकर्मी, यहां तक कि सबसे निचले स्तर के पुलिसकर्मी के पास भी किसी न किसी राजनेता तक पहूँचने के लिए एक पाईपलाईन है। इन्हें अनुशासित करने और उनमें अच्छी मान्यताएं डालना नेतृत्व की योग्यता पर सिमित है ताकि वे इस राजनैतिक शिकंजे से बाहर आ सकें। यदि कानून द्वारा इस राजनैतिक शिकंजे को हटाया जा सके, जैसे पुलिसकर्मी आज हैं, कानून के अनुसार उनसे उनके दायित्वों का निर्वाह करवाया जा सकता है।

सर पुलिस प्रशिक्षण पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह पुलिसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करता है? यदि नहीं तो यह बदल क्यों नहीं रहा है?

शेष भाग पृष्ठ २ पर....

बूझो और जीतो-३०

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, हम इस बार भी विशेष कानूनों से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए, अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें।

इन अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं और २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:-

१. क्या पुलिस द्वारा मांगने पर उसे हमेशा वाहन का लाईसेंस दिखाना आवश्यक है? पुलिस को यह अधिकार किस प्रावधान से प्राप्त है?

२. बगैर लाईसेंस के मोटर चलाने पर क्या पुलिस कोई कार्यवाही कर सकती है? समबद्ध प्रावधान में क्या कहा गया है?

३. शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए किस प्रावधान के अंतर्गत दण्डित किया जा सकता है?

४. सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले को क्या और किस प्रावधान के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है?

५. एक १७ वर्षीय बच्चे को अपनी मोटरसाईकल चलाने देने वाले को क्या दण्ड दिया जा सकता है?

बूझो और जीतो - ५७ का परिणाम

मार्च २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:-

१. पुलिस अधिनियम १८६१ की धारा ३४ के अंतर्गत राज्य संशोधनों के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे व्यक्ति को पकड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष परस्तुत करे और इस प्रकार बेचे जाने वाले टिकट को भी ज़ब्त कर ले।

२. भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, १९८८ की धारा ७ के अंतर्गत किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा उसके आधिकारिक काम को करने के लिए रिश्वत मांगने पर उसके विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोषी पाये जाने पर अपराधी को ६ महीने से ५ वर्षों तक के कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

३. नहीं, किसी भी व्यक्ति को रास्तों पर ऐसा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने वाले को रोकने और कार्यवाही करने के लिए पुलिस को, पुलिस अधिनियम १८६१ की धारा ३४ के अंतर्गत विशेष शक्ति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत वह आरोपी को वारंट के बगैर गिरफ़्तार कर सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा उसे ५० रू. जुर्माना चुकाने या ८ दिनों तक के कारावास या दोनों का ही दण्ड दिया जा सकता है।

४. पुलिस अधिनियम १८६१ की धारा ३० के अंतर्गत, जिला पुलिस अधिक्षक या सहायक पुलिस अधिक्षक को यह अधिकार है कि वह किसी जुलूस के संचालन के लिए लाईसेंस दे सके और इस प्रकार लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी विशेष मार्ग का उपयोग करने या न करने का भी निर्देश दे सकती है।

५. भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, १९८८ की धारा ११ के अंतर्गत किसी भी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने पर उसे ६ महीने से ५ वर्षों तक के कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

विजेता

इस बार हमें कोई भी ऐसा पत्र नहीं मिला जिसमें सारे उत्तर सही हों, इसलिए इस बार किसी को भी विजेता नहीं घोषित किया जा रहा है।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें-

ज़ीनत मलिक

प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,

नई दिल्ली ११००१७, भारत

फोन : +९१-०११-४३१०२००, ४३१०२२६-२९९

फैक्स : +९१-०११-२६९९४६८८

ई-मेल : z

इट : h!

अपराधों को रोकने के लिए अपराधों का मापना

अपराधों का मापना (क्राईम मैपिंग) क्या है?

अपराधों को मापने में, एक विशेष क्षेत्र में अपराधों की प्रकृति और अपराधों के आँकड़े एकत्रित करना सम्मिलित है। इस प्रकार मैपिंग से उपलब्ध आँकड़े, पुलिस को भविष्य में इन अपराधों के घटित होने को रोकने के लिए उचित उपाय निकालने में सहायता कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अपराधों का दर बहुत अधिक पाया जाए वहां अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा गश्त बढ़ाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि अधिक प्रत्यक्ष पुलिसकर्मियों की उपस्थिति सम्भावित अपराधियों को रोकेगी। यह पुलिस को अपने लोगों की तैनाती की योजना अधिक कार्यकुशलता से करने में सहायता करेगा।

अपराधों को कैसे मापा जा सकता है?

क्राईम मैपिंग कई तरीकों से की जाती है, जिसमें डिजिटल सॉफ्टवेयर और सर्वेक्षण भी शामिल हैं। २०१४ के प्रारम्भ में, केरल पुलिस ने क्राईम मैपिंग को "निर्भयकेरलम सुरक्षिताकेरलम" अभियान के अंतर्गत शुरू किया है जिसका उद्देश्य महिला और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकना था।

उसी प्रकार, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बैंगलोर में क्राईम मैपिंग का प्रारम्भ २०१३ में, एफ.आई.आर. की प्रक्रिया से जोड़कर किया गया था। गुगल अर्थ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रत्येक एफ.आई. आर. का उपयोग अपराध की प्रकृति और उसका वास्तविक स्थान जानने के लिए किया जाता था। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधों के स्वरूप का मूल्यांकन करना होता था और निरोधात्मक पहल भी करनी होती थी।

मुंबई में हमें क्राईम मैपिंग कार्यवाही का एक और उदहरण मिलता है। पूरे मुंबई में चेन स्नींचने के केसों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद, चेन स्नींचने के केसों को देखने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को एक अंचल के केसों को ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) तकनीक का उपयोग करके मापने का निर्देश दिया गया। ६ महीनों तक आँकड़ों को एकत्रित किया गया ताकि सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करके उनका मूल्यांकन किया जा सके। इसके बाद अपराधों के लिए संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त और वाहनों की जांच बढ़ा दी गई। ऐसा लगता है कि इस उपाय का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जहां जनवरी २०१३- अप्रैल २०१४ के मध्य चेन स्नींचने के ३६ केस दर्ज किये गये थे वहीं, २०१४ में केवल १० केस दर्ज हुए हैं।

दिल्ली की स्थिति

मार्च २०१४ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से राजधानी की क्राईम मैपिंग की स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी, विशेष कर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर। अदालत ने ऐसा *गौरव कुमार बनाम भारत गणराज्य* के केस की सुनवाई के दौरान किया जिसमें याचिकाकर्ता ने ऐसे केसों में लगातार बढ़ोतरी के कारण, अदालत से पुलिस को इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने का निवेदन किया था।

दिल्ली सरकार ने इसकी स्थिति रिपोर्ट अप्रैल २०१४ में, एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में अदालत में जमा कर दिया। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि इसे मुख्य रूप से तीन चार्टों में बांट दिया गया और बलात्कार, छेड़खानी, कामुकतापूर्ण उत्पीड़न प्रवृत्त क्षेत्रों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य और केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत को कहा कि - राजधानी का तेज़ी से होता शहरीकरण - विशेषकर दिल्ली के देहाती क्षेत्रों का - अनाधिकृत निर्माण में अनियंत्रित बढ़ोतरी और बाहरी रिंग रोड के आगे दिल्ली का विस्तार पुलिसिंग में चूक के मुख्य कारण हैं।

अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार और पुलिस दोनों को ही सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत कार्यवाही करने का निर्देश दिया है जिसमें अधिक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और जेन्डर संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन कराना भी सम्मिलित है। इसने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह यह जानने के लिए कि किसी विशेष क्षेत्र में ऐसे अपराध क्यों घटित होते हैं, एक सामाजिक अध्ययन भी करवाये।

इन उन्नतियों से पता लगता है कि क्राईम मैपिंग का एक दूसरा महत्वपूर्ण लाभ भी है। अपराध के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के अलावा, क्राईम मैपिंग से प्राप्त आँकड़े पुलिस को इसके सम्भावित कारणों को पहचानने में भी सहायता कर सकते हैं, इसमें अपराध में सामाजिक कारकों के प्रभाव की भुमिका भी शामिल है। अगर इन कारकों को अग्रसक्रिय रूप से रोका जा सके तो भविष्यगत अपराधों से बचा जा सकता है।

- अनिरूद्ध नागर

बाराखम्बा रोड थाना एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित

दिल्ली के एक थाने को पूरे एशिया महादेश में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय मानकों के अनुसार, २२ देशों के १३४० थानों में किये गये एक ग्लोबल सर्वे में बाराखम्बा रोड थाने ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है।

दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष ४ और ६ नवंबर के मध्य अल्टस ग्लोबल अलायंस द्वारा आयोजित ग्लोबल विज़िटर्स वीक में भाग लिया था। ४५ थानों को मूल्यांकन के लिए रखा गया था जिसमें तकरीबन ५००० दिल्ली वासियों ने इस निरीक्षण में भाग लिया था। उन्हें एक सर्वे फार्म भरने को कहा गया था जिसमें जो प्रश्न थे वे ५ मापदण्डों- सामुदायिक अनुकूलन, भौतिक स्थिति, समान व्यवहार, पारदर्शिता जवाबदेही और हवालात की स्थिति से पूछे गये थे। एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने लोगों से 'पुलिस के सामान्य बर्ताव के बारे में, निर्धारित स्थानों पर पुलिस की सेवा प्राप्त करने में नागरिकों को सहयोग प्रदान करने के बारे में और नागरिकों को उनके अधिकारो के प्रति सूचित करने के लिए डिस्प्ले की उपलब्धता के बारे में पूछा था।'

दिल्ली के थानों का औसत अंक ८३.३८ प्रतिशत था। इस प्राप्ति के उपलक्ष्य में उस समय के वहां के एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर सतीश शर्मा और अतिरिक्त डी.सी.पी. (नई दिल्ली) मधुर वर्मा को पुलिस सुधार पर ६ जून को अंटिगुआ गुआटेमाला में अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में भी सम्मानित किये जाने की बात कही गई थी।

अच्छी बात है कि दिल्ली के एक थाने को २२ देशों के थानों में सर्वश्रेष्ठ होने का सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन यह केवल चयनित ४५ थानों में किये गये मूल्यांकन पर आधारित था और इसे संपूर्ण दिल्ली के अन्य थानों की स्थिति का प्रतिबिम्ब नहीं कहा जा सकता क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में भी कई थाने जर्जर स्थिति में अवसंरचनाओं की कमी से बुरी तरह ग्रस्त हैं। सरकार को इंगित ४५ थानों को छोड़कर बाकी तकरीबन १४० थानों की मरम्मत आदि पर ध्यान देना चाहिए।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ३ जून २०१४)

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

प्रशिक्षण हमारे समय से बहुत अधिक प्रगतिशील है। समस्या प्रशिक्षण में नहीं है बल्कि उस संस्कृति में है जिससे उनका सामना तब होता है जब अफसर और नये भर्ती पुलिसकर्मी ट्रेनिंग कॉलेज से बाहर क्षेत्र में जाते हैं। लालच और स्वयंसेवा का यह वह प्रचलन है जिसे बदलने की ज़रूरत है और यह उचित रूप से चयनित और फिर राजनैतिक दबावों से स्वतंत्र काम करने के लिए नियुक्त किये गये केवल अच्छे नेतृत्व द्वारा ही सम्भव है।

जैसी पुलिसिंग आज है, उसमें ऐसी कौन सी पाँच चीज़ें हैं जिसमें आप बदलाव देखना चाहेंगे?

पहली चीज़ जो मैं देखना चाहुंगा वह है कि पुलिसकर्मी स्वयं को जनता के सेवक के रूप में देखें न कि उनके मालिक के रूप में।

दूसरी, पुलिसकर्मियों को स्वयं देश के कानून का पालन करना चाहिए और जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अगर दोपहिये वाहन पर हैल्मेट पहनना अनिवार्य है तो उन्हें जनता को इसके लिए कहने के पहले स्वयं इसे पहनना चाहिए।

तीसरा, पुलिसकर्मियों को उन लोगों के प्रति चिंता दर्शानी चाहिए जिनके साथ ग़लत हुआ हो या जो अपराध से पीड़ित हुये हों।

चौथा, पुलिसिंग को पारदर्शी होना चाहिए और कार्यवाही करने या न करने के लिए तुरंत कारण बताना चाहिए।

पांचवा, पुलिसकर्मियों को गैंग के मालिकों और अन्य असामाजिक तत्वों के प्रति नर्म नहीं दिखाना चाहिए। यह एक ऐसा प्रचलन है जिसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है और ऐसे असमाजिक तत्वों को थाने में बैठने के लिए स्थान न देकर किया जाना चाहिए।

अगर आप ही भगवान, सरकार और पुलिस प्रमुख होते तो इसे कैसे प्राप्त करते?

भगवान को इस दृश्य में न लाएं। सरकार को अच्छे पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति करनी चाहिए और अगर उनके दिल में जनता की भलाई है तो पुलिस प्रमुखों को परिचालन संबंधी स्वतंत्रता देनी चाहिए।

तथ्य एंव आँकड़े

उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की जर्जर स्थिति से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य

राज्य की जनसंख्या	२० करोड़
पुलिस की अनुमोदित संख्या	३.६८ लाख
वर्तमान पुलिस की संख्या	१.६७ लाख
प्रदेश में १ पुलिसकर्मी पर औसत जनसंख्या का दायित्व	१२३४
१ पुलिसकर्मी पर दायित्व के जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत	७३३

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

क्या आप जानते हैं?

इस खण्ड के अंतर्गत हम कमज़ोर गवाहों विशेषकर बच्चों द्वारा आपराधिक कार्यवाही के समय गवाही लेते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातों के लिए तैयार किये गये दिशा-निर्देशों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए कुल ३९ दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं। इस श्रृंखला का पहला भाग यहां प्रस्तुत है :

आपराधिक मामलों में कमज़ोर गवाहों का बयान दर्ज कराने के लिए दिशा-निर्देश

प्रस्तावना

यह प्रोटोकोल, आपराधिक प्रक्रिया के दौरान निर्बल गवाहों द्वारा अदालत में गवाही देने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है ताकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य दे सकें।

निर्बल गवाहों को आपराधिक प्रक्रिया, विशेषकर अदालत की कार्यवाही का अनुभव बहुत डरावना लगता है। इन परिस्थितियों में एक निर्बल गवाह, बेचारा ऐसा गवाह हो सकता है जो सामर्थ्य से बहुत कम सूचना दे और जिसकी गवाही बहुत कमज़ोर हो। आपराधिक न्याय की लंबी और औपचारिक प्रणाली का कमज़ोर गवाह के मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डाल सकती है और यह उसकी संवेदनशीलता को महत्वपूर्ण रूप से और लंबी अवधि के लिए प्रभावित कर सकती है।

कमज़ोर गवाहों की इस ज़रूरत को प्रभावपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था को अग्रसक्रिय और संवेदनशीलता के साथ उचित रूप से और उम्र के अनुसार प्रतिक्रिया करना चाहिए, ताकि मुकदमे की प्रक्रिया उनके लिए कम डरावनी हो।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य

१. कमज़ोर गवाहों से पूर्ण, सही और विश्वसनीय साक्ष्य निकालना,

२. कमज़ोर गवाहों के आपराधिक न्याय प्रणाली में भाग लेने की सम्भावना के परिणाम के तौर पर दोबारा उन पर अत्याचार या नुकसान को कम करना,

३. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरोपियों के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार को क़ायम रखा जाए।

उसके लागू करने का क्षेत्र

जब तक कुछ और न कहा जाए, यह दिशा-निर्देश आपराधिक मुकदमे में ऐसे कमज़ोर गवाहों के परीक्षण को संचालित करेंगे जो या तो अपराध के गवाह हों या पीड़ित हों।

सीमा, लघु नाम और प्रारम्भ

इन दिशा-निर्देशों को 'आपराधिक मामलों में कमज़ोर गवाहों के साक्ष्य दर्ज कराने के लिए दिशा-निर्देश कहा जाएगा। यह दिल्ली के सभी आपराधिक न्यायालयों में लागू होंगे। इनका कार्यान्वयन तब से होगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय इसकी तारीख़ अधिसूचित करेगी।

दिशा-निर्देशों की संरचना

इन दिशा-निर्देशों को खुले दिमाग से और कमज़ोर गवाहों के हितों को बनाए रखने और आरोपी के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार से समझौता किये बगैर, उन्हें गवाही के लिए अधिक से अधिक अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

परिभाषाएं

क) कमज़ोर गवाह - एक ऐसा बच्चा है जिसने १८ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

ख) सहयोगी व्यक्ति - का अर्थ होता है और इसमें सम्मिलित है, अभिभावक, विधिक सहायता अधिवक्ता, सहायक, इंटरपरेटर, अनुवादक और अदालत द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जिसे अदालत या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमज़ोर गवाह को न्यायिक कार्यवाही के दौरान सहायता करने, साथ रहने या गवाही देने के समय सहायता करने के लिए कहा गया हो।

ग) बच्चे का सर्वश्रेष्ठ हित - का अर्थ है बच्चे के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सबसे उत्कृष्ट परिस्थितियां और अवस्थाएं और जो उसके शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को सर्वाधिक प्रोत्साहित करे और इसमें बच्चे की वृद्धि और विकास के संरक्षण के लिए उपलब्ध विकल्प भी सम्मिलित हैं।

घ) विकास स्तर - विकास स्तर का अभिप्राय उस विशेष वृद्धि चरण से है जिसमें अधिकांश व्यक्तियों से उनके शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास के संदर्भ में अर्जित योग्यताओं के अनुरूप व्यवहार और कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

ङ) बंद कमरे की कार्यवाही - इसका अर्थ है पूर्ण या आधे तौर पर आपराधिक मामले की कार्यवाही, जिसमें अच्छे कारणों से न्यायाधीश द्वारा आम जनता और मीडिया को अदालत की सुनवाई में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जाती है।

च) गवाह की पहचान गुप्त रखना - इसका अर्थ है और शामिल है ऐसी कोई भी अवस्था पर प्रतिबंध लगाना है जिससे गवाह के नाम, पता या अन्य ब्योरे का प्रकाशन होता है और जिससे उसकी पहचान की जा सकती है।

छ) आरामदायक सामग्रियां - इसका अर्थ है ऐसी कोई भी वस्तु जो निर्बल गवाह को गवाही के समय, उसे शांत रखने में सहायक हो। इसमें कोई नर्म खिलौने, कम्बल या इस प्रकार की कोई भी अन्य वस्तु हो सकती है।

ज) कमज़ोर गवाह का सामर्थ्य - प्रत्येक कमज़ोर गवाह अदालत में गवाही देने में तब तक समर्थ होगा जब तक की अदालत उसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को न समझ पाने या छोटी आयु, शारीरिक या मानसिक बीमारी या ऐसे ही किसी अन्य कारण से पूछे जाने वाले प्रश्नों का तर्कसंगत उत्तर देने के लिए अयोग्य मान ले।

व्याख्या - किसी मानसिक रोगी को भी अदालत में गवाही देने में तब तक सक्षम माना जा सकता जब तक कि वह अपनी बीमारी के कारण पूछे गये प्रश्नों को समझने में असमर्थ न मान लिया जाए।

झ) अदालत परिसर की सैर - अदालत के वातावरण और न्याय की बुनियादी प्रक्रियाओं से परिचित कराने और अदालत के सभी अधिकारियों की भूमिका के बारे में जानकारी देने के लिए एक कमज़ोर गवाह को मुकदमा पूर्व अदालत की सैर कराना।

ञ) विवरणात्मक सहयोग - एक मानव शरीर का मॉडल, शारीरिक रचना की दृष्टि से उचित गुड़िया या इस प्रकार के डायग्राम या ऐसी कोई अन्य वस्तु जो ठीक लगे और कमज़ोर गवाह को किसी तथ्य या कार्य की व्याख्या करने में सहायता कर सके।

ट) लाईव लिंक (सजीव कड़ी) - 'लाईव लिंक' का अर्थ होता है और इसमें सम्मिलित हैं चलते हुए टेलिविज़न का कनेक्शन, ऑडियो-विज़ुअल के इलेक्ट्रॉनिक साधन या दूसरा प्रबंध, जहां एक गवाह जो अदालत के कमरे में मौजूद नहीं है, तकनीक का उपयोग करके दूर से अदालत में गवाह दे सकता है और क्रॉस परीक्षण के लिए भी अदालत में उपस्थित हो सकता है।

ठ) विशेष उपाय - का अर्थ है और इसमें शामिल है किसी ऐसी विधि, तरीका या यंत्र आदि, जिसे कमज़ोर गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक समझा जाता है।

ड) गवाही के साधन - इसका अर्थ है और इसमें शामिल है स्क्रीन, लाईव लिंक, फोटो या आवाज़ बदलने का उपकरण या कोई दूसरा तकनीकी उपकरण।

ढ) दोबारा उत्पीड़न - इसका अर्थ है ऐसे उत्पीड़न से है जो सीधे किसी आपराधिक घटना के कारण नहीं होता है बल्कि पीड़ित के प्रति व्यक्तियों और संस्थानों की प्रतिक्रिया के द्वारा होता है।

ण) पुन:उत्पीड़न - इसका अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुछ ही समय में एक से अधिक बार आपराधिक घटना होती है।

त) प्रतीक्षालय - कमज़ोर गवाहों के लिए एक सुरक्षित स्थान जहां वह प्रतीक्षा कर सके। यहां किताबें, खिलौने, टी.वी. आदि होना चाहिए जो उनकी चिंता दूर करने में सहायता कर सके।

४. विशेष उपायों के निर्देश

टदालत यह निर्णय करेगी कि किसी एक योग्य और कमज़ोर गवाह की सहायता करने के लिए कौन से विशेष उपायों की मदद ली जाएगी ताकि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ गवाही दे सके। कार्यवाही के दौरान निर्देशों का पालन किया जा सकता है या बदला जा सकता है, लेकिन आमतौर पर यह तब तक प्रभावशील रहता है जब तक की अदालत की कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है। इस प्रकार गवाह को भी यह समझने में सहायता मिलती है कि किस सहायता की अपेक्षा करनी चाहिए।

५. दिशा-निर्देशों की उपयुक्तता

सभी कमज़ोर गवाहों पर संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन दिशा-निर्देशों को हर प्रकार के कमज़ोर गवाहों पर लागू किया जाएगा जिसमें कोई बच्चा ही पार्टी क्यों न हो और बगैर इस पर ध्यान दिये हुए कि कौन सी पार्टी गवाह का परीक्षण कराना चाहती है।

(दूसरा भाग अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा)

- प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादिका जी,
नमस्ते!

मई २०१४ का ***लोक पुलिस*** मैंने इंटरनेट पर पढ़ा और मुझे दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर यातायात एवं महिला सुरक्षा, श्री ताज हसन का साक्षात्कार पसंद आया पूछे गये प्रश्नों से हमें मालूम हुआ कि किस प्रकार अब हमें अपने पुरूष सहकर्मियों द्वारा अपेक्षा या ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखा जाता बल्कि हमारी उपस्थिति को भी थाने की एक आवश्यकता समझा जाने लगा है। कुछ वर्ष पूर्व स्थिति और सहकर्मियों का बर्ताव कुछ भिन्न और तिरस्कारपूर्ण महसूस होता था। लेकिन, शायद पुरूष पुलिसकर्मियों ने भी हम महिलाओं की भागीदारी को स्वीकार कर लिया है।

मैं, ***लोक पुलिस*** के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से महिला पुलिसकर्मियों के लिए थाना परिसर में शिशु सदनों की स्थापना करने का आग्रह करती हूँ ताकि कम से कम स्कूल न जाने की आयु तक के बच्चों को माताएं वहीं अपने कार्यस्थल पर रखवाली के लिए नियुक्त महिलाओं की निगरानी में रखकर निश्चिंत रूप से काम कर सकें। यदि बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाना आवश्यक है, इस समस्या पर आवश्यक रूप से शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

धन्यवाद!

महिला उप निरीक्षक
उत्तरी दिल्ली थाना क्षेत्र
सदस्य, दिल्ली पुलिस

महोदया,
नमस्कार!

अप्रैल और मई २०१४ के अंक में जहां 'सामुदायिक पुलिसिंग' के विभिन्न पहलुओं पर जानकरी प्राप्त हुई, वहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा बलात्कार के केसों में पुलिस को दिये गये नवीनतम निर्देश का समावेश भी बहुत ही सामरिक महत्व रखता है क्योंकि इतनी जल्दी हम आरक्षकों तक ऐसी सूचनाओं का पहुंचना प्राय: कठिन ही होता है और इसका नुकसान केसों में जांच की गुणवत्ता पर विशेष रूप से पड़ता है। कई बार हमें भी मुख्य जांच अधिकारी के निर्देश पर जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, ऐसे में नवीनतम कानूनों और दिशा-निर्देशों को मानते हुए कार्यवाही करना चाहिए जिसके लिए तत्कालीन रूप से समबद्ध सूचना नहीं मिल पाती है।

इसलिए, ***लोक पुलिस*** को विशेष धन्यवाद।

हेड कांस्टेबल, देहरादून
सदस्य, उत्तराखंड पुलिस

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

दिल्ली : पुलिस प्रमुख की थाना प्रभारियों को नसीहत

दिल्ली के पुलिस प्रमुख श्री बी.एस. बस्सी ने एक मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों को महिलाओं के प्रति शहर में घटित होने वाले अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील होने को कहा है। इस मीटिंग का आयोजन सभी १८२ थानों के निरिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए २१ मई को किया गया था।

शहर में तकरीबन ८४००० पुलिस बल विभिन्न युनिटों में मौजूद हैं। अप्रैल के मध्य तक राजधानी दिल्ली में महिलाओं के विरूद्ध - ५३० बलात्कार केस, ११७० कामुकतापूर्ण उत्पीड़न के केस दर्ज किये जा चुके थे। इन आँकड़ों के परिप्रेक्ष्य में यह मीटिंग थाना प्रभारियों को महिला सुरक्षा और उनके द्वारा शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए तत्पर रहने का निर्देश देने के लिए आवश्यक था। क्योंकि, पुलिस प्रमुख ने अपने निर्देश में महिलाओं द्वारा शिकायत न दर्ज किये जाने की घटना का भी उल्लेख किया था।

भ.द.सं. की धारा १६६क के समावेश के बाद भी, पुलिस ने शिकायत न दर्ज करने की अपनी पुरानी प्रवृत्ती से हाथ नहीं खींचा है। धारा १६६ क अपराध न दर्ज करने को ही एक अपराध मानता है जिसके लिए मना करने वाले पुलिसकर्मी के विरूद्ध ही एफ.आई. आर. दर्ज कराई जा सकती है और दोषी पाये जाने पर उक्त पुलिसकर्मी को २ वर्षों तक का कारावास हो सकता है। अफ़सोस की बात है कि दिल्ली में अब तक एक भी एफ.आई.आर. इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं दर्ज हुआ है जबकि शिकायत न दर्ज करने की घटना नित होती रहती है।

(सौजन्य : न्यूज़ट्रैक इंडिया डॉट कॉम, २२ मई २०१४)

तेलंगाना के नये मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस बल को उपहार

देश के २९वें राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने औपचारिक राज्य निर्माण दिवस उत्सव के दौरान अपने भाषण में पुलिसवालों से कई सुविधाएं देने का वादा किया है। हांलाकि, पुलिस की सभी स्पेशल यूनिट को आपस में मिलाने के प्रस्ताव ने पुलिस अधिकारियों में घबराहट उत्पन्न कर दी वे न तो इसका विरोध कर सके और न ही इसका समर्थन।

मुख्यमंत्री ने बल को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश देने का, और जो पुलिसकर्मी तेलंगाना राज्य के गठन के अवसर पर काम कर रहे थे, उनके लिए विशेष पदक की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी अवलोकन किया कि वर्तमान में, पुलिस को घटना स्थल पर समय से पहुंचने में कठिनाईयों का सामना कर पड़ रहा है क्योंकि उन्हें ४ लाख कि.मी. पुरानी गाडियों का उपयोग करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने यह भी कहा "सभी पुरानी गाड़ियों को युद्धस्तर पर हटाकर नई गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी।"

इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी के दौरान दो घंटों के विश्राम और विशेष मासिक चिकित्सीय भत्ता देने की घोषणा, उनके लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि उन्हें लगातार हर मौसम में बाहर खड़े होकर काम करना पड़ता है।

आशा है, इस २९वें राज्य में पुलिस को जिस प्रकार सरकार से उपहार और राहत देने की बात की गई है। यहां कि पुलिस की स्थिति दूसरे कई राज्यों की तरह कभी भी न हो।सरकार प्रारम्भ से ही पूर्ण और सजग रहे ताकि पुलिस अपना काम पूरी कर्तव्यनिष्ठा से करने के लिए स्वत: प्रेरित रहे।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ३ जून २०१४)

महिला पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय का उपहार

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को थानों में साफ़ एंव सुरक्षित शौचालय तथा विश्राम कक्ष की स्थापना करने को कहा है। मंत्रालय ने सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद, पिछले महीने एक पत्र द्वारा इस बुनियादी आवश्यकता के उपलब्ध कराने को कहा। पत्र में कहा गया था "पुलिस के बुनियादी कार्यों में लंबी कार्य अवधि और आउटडोर कार्यवाहियां जैसे - गश्त, कई अवसरों पर सुरक्षा ड्यूटी, राज्य के भीतर और बाहर यात्रा करना सम्मिलित है। महिलाओं के लिए तनाव रहित कार्य वातावरण के लिए सरकार द्वारा सुदृढ संगठनात्मक और अवसंरचनात्मक सहयोग के बगैर घरेलु कार्यकलापों और व्यवसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखना कठिन है।"

मंत्रालय ने उपरोक्त सुविधा को "प्राथमिकता पर" पर रखते हुए राज्यों को वर्ष २०१४-२०१५ की कार्ययोजना के अंतर्गत मंत्रालय से आधुनिकिकरण स्कीम के अंतर्गत पैसे मांगने के लिए कहा है।

मंत्रालय अधिकारियों द्वारा यह भी कहा गया कि यह बेहद दुखद स्थिति है कि देश के कई थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय और विश्रामकक्ष जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जबकि देश में पुलिस बल में तकरीबन ५ प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सभी थानों, पुलिस थ चौकियों और बैरकों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए शौचालय की सुविधा जिसमें हाथ धोने और नहाने की उचित सुविधा भी शामिल है, पर्याप्त जल प्रवाह के साथ आवश्यक रूप से बनाने का इंतजाम किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, विश्राम गृह को थाने के अन्य भागों से अलग और शौचालय के समीप, इतना बड़ा बनाया जाना चाहिए कि महिलाएं उसे कपड़े बदलने के लिए भी उपयोग कर सकें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा से किसी भी स्थिति में समझौता न हो।

नई सरकार का रज्यों को यह निर्देश एक आवश्यक और सराहनीय क़दम है, लेकिन अंतत: इसके लिए कोष प्राप्त करके इसके कार्यान्वयन राज्य सरकारों की ईच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा होता कि इस निर्माण के लिए एक सम्भावित समय सीमा भी तय की जाती।

(आर्टिकल्स डॉट इकॉनामिक टाईम्स डॉट इंडियाटाईम्स डॉट कॉम, ३ जून २०१४)

उत्तर प्रदेश : पुलिस बल में शीर्ष से पेंदी तक पुनर्निमाण आवश्यक

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की जैसे झड़ी ही लग गई है। बदायूँ में बलात्कार एंव हत्या कांड की घटना में पुलिस और प्रशासन की आलोचना अभी जारी ही थी कि ५ जून २०१४ को दो नाबालिग बहनों के बलात्कार की घटना एटा ज़िले के मनुपूर गांव में उस समय घटित हुई जब दोनों बहनें पास के गांव की आटा मिल जाने के लिए दोपहर को घर से निकली। ३ आरोपियों ने पहले १३ वर्षीय छोटी बहन को खींचा १५ वर्षीय बड़ी बहन द्वारा विरोध करने पर उसे भी घसीट कर खेत में ले गये और अपराध को अंजाम दिया। घर आकर बहनों ने परिवारजनों को घटना की जानकारी दी और पिता और भाई की शिकायत पर भ.द.सं. और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२ के सम्बद्ध प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज कर लिया है। ध्यान देने की बात यह है कि कम से कम इस केस में पुलिस द्वारा अपराधियों का पक्ष लेने या शिकायत न दर्ज करने का प्रकरण नहीं हुआ है। रेंज के आई.जी. के अनुसार गांव के आस-पास सावधानी के तौर पर बल की तैनाती भी कर दी गई थी ताकि कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी न होने दिया जाए। इससे पहले २७ मई को दो नाबालिग चचेरी बहनें अपने कच्चे मकान से घर में शौचालय न होने के कारण बाहर शौच के लिए निकली थीं। लेकिन, अगले दिन सुबह पेड़ से लटकी उनकी लाश ही मिली। इस घटना में दो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। इसके बाद शिकायत न दर्ज करने के लिए चौकी प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया और ३१ मई तक ५ मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि दो अन्य तब भी नहीं पकड़े गये थे। मीडिया के आने के बाद सरकारी तंत्र ने थोड़ा बहुत काम किया था लेकिन परिवारजन की मांग थी, कि केस को सी.बी.आई को सौंप दिया जाए क्योंकि पुलिस की मिली भगत की गुंजाईश है। बाद में परिवार ने धमकी मिलने की भी बात कही और यह भी कहा कि वह सब लोग गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे क्योंकि कुछ सप्ताह के बाद उनकी सुरक्षा के लिए वहां कोई भी नहीं होगा।

सी.एच.आर.आई. उत्तर प्रदेश के बदायूँ बलात्कार कांड में, इन दो १४ व १५ वर्षीय नाबालिग बहनों से सामुहिक बलात्कार और उनके हत्या के आरोपियों को बचाने में पुलिस की भूमिका की घोर निंदा करता है। यह घटना न केवल दु:खद है बल्कि बेहद चौंकाने वाली भी है कि समबद्ध पुलिस अधिकरी ने न केवल अपराधियों का पक्ष लिया बल्कि लड़कियों के परिवारजनों से उनके गुम होने की शिकायत करने पर उन्हें भगा भी दिया। ऐसा नहीं था कि यहां बलात्कार की घटना अकस्मात ही हो गई, बल्कि पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी द्वारा यदि परिवारजनों द्वारा युवतियों को परेशान किये जाने की घटना की पूर्व शिकायत पर कार्यवाही की गई होती तो अपराधियों में सामुहिक बलात्कार और बर्बतापूर्ण हत्या करने का दुस्साहस नहीं आता।

यह घटनाएं उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था और अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो जाने का जीता-जागता उदाहरण हैं। क्योंकि, अपराधी अधिकतम केसों में इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि कानून लागू कराने और अपराधों को रोकने वाली मुख्य एजेंसी, पुलिस उन पर कार्यवाही नहीं करेगी।

उपरोक्त और ऐसी सभी घटनाएं जिसमें पुलिस, सुस्त प्रतिक्रिया या प्रतिक्रियाहीनता दर्शाती है, सरकार और पुलिस द्वारा जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाते हैं। जब तक आदेश देने वाली सभी कड़ियों का परीक्षण नहीं किया जाएगा और पुलिस बल का शीर्ष से धरातल तक पुर्ननिर्माण नहीं होगा, ऐसी दु:खद घटनाएं होती रहेंगी।

(सौजन्य : हिन्दुस्तान टाईम्स डॉट कॉम, २८ मई, ३१ मई व ६ जून २०१४)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली :. ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स :. ९१ ११ २६८६४६८८, i a